मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के उद्घाटन समारोह में पाक विस्थापितों को पुनर्वास के लिये भूखंड के आवंटन पत्र दिये। कुल 118 परिवारों को भूखंड दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रुप से 5 परिवारों को आवंटन पत्र प्रदान किये।

मुख्यमंत्री ने जोधपुर में पाक विस्थापितों को भूखंड दिये

राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में पाक विस्थिातियों के विकास के वादा के तहत यह आवंटन किया गया है

- **जोधपुर विकास प्राधिकरण ने विनोबा भावे नगर के 1700 भूखंडों से 118 चयनित पाक विस्थापितों को लॉटरी के माध्यम से भूखंड आवंटित किया।**

जोधपुर, 9 जनवरी (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव के विधिवत् शुभारंभ के अवसर पर पाक विस्थापितों को पुनर्वास के लिए आवासीय भूखण्डों के आवंटन पत्र दिए। राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में पाक विस्थापितों के सर्वांगीण विकास का वादा किया गया है, जिसमें नागरिकता से जुड़ी समस्या व पुनर्वास का समाधान भी सम्मिलित हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पाक विस्थापितों में अधिकतर परिवार समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। जन घोषणा की क्रियान्विति हेतु पाक विस्थापितों का पुनर्वास करने की दिशा में राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं। इसी क्रम में, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने विनोबा भावे नगर आवासीय योजना विकसित की है। कार्यक्रम में, विनोबा भावे नगर आवासीय योजना में चयनित 118 परिवारों में से पांच परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री ने आवंटन पत्र प्रदान किए।

विनोबा भावे नगर आवासीय योजना राजस्व ग्राम चौखा के ख.सं. 28 में 310 बीघा भूमि में स्वीकृत है। योजना जोधपुर रेल्वे स्टेशन से मात्र 18 कि.मी. दूरी पर है। योजना के अन्तर्गत पार्क, व्यवसायिक भूखण्ड, ओसीएफ एवं अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। योजना में कुल 1700 भूखण्ड हैं, जिनकी आरक्षित दर प्राधिकरण द्वारा राजस्थान नगरीय विकास निकाय (भूमि निष्पादन नियम 1974 के अधीन) आरक्षित दर 9178/-रूपए प्रति वर्गमीटर रखी गयी है। जेडीए द्वारा वर्तमान में 118 चयनित पाक विस्थापित परिवारों को लॉटरी के माध्यम से भूखण्ड आवंटन किए गए हैं। योजना में 60 वर्गमीटर तक के भूखण्ड आरक्षित दर के 25 प्रतिशत मूल्य, यानी 2295/-रूपये प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटित किए गए हैं।

इस अवसर पर, प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी, सचिव भागीरथ विश्नोई, उपायुक्त जोन-4 अदिति पुरोहित, उपायुक्त जोन-3 जयपाल सिंह राठौड़, तहसीलदार जोन-4 हंसराज राठौड़, आईटी सेल के एसीपी नरेश कुमार एवं प्रोग्रामर कैलाश जोशी भी उपस्थित थे।

देश में विभिन्न श्रेणियों के चयनित 10 हज़ार लोग गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे

कल्याणकारी योजनाओं में सर्वोत्तम काम तथा अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को विशेष अतिथि बनाया जायेगा

- **विशेष अतिथियों का चयन 31 श्रेणियों में से किया जायेगा, जिनमें सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जल योद्धा, प्राथमिक कृषि ऋण समिति तथा पानी समिति के सदस्य आदि प्रमुख हैं।**

नयी दिल्ली, 09 जनवरी। राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में जनभागीदारी बढ़ ाने के उद्देश्य से राजधानी के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में सर्वोतम कार्य करने वाले लगभग दस हजार विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि विविध पृष्ठभूमि वाले भारत के उन "स्वर्णिम निर्माताओं" को परेड का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया है जिन्होंने सरकार की योजनाओं का सर्वोत्तम इस्तेमाल करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इन विशेष अतिथियों को 31 श्रेणियों में से बुलाया गया है, जिनमें गांवों के सरपंच ,आपदा राहत कार्यकर्ता,वाइब्रेंट विलेज से आए मेहमान, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जल योद्धा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्य और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पानी समिति के सदस्य आदि शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने पंचायतों के बीच एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की घोषणा की थी। जिन पंचायतों ने कम से कम छह प्रमुख योजनाओं में लक्ष्य हासिल किए हैं, उन्हें विशेष अतिथि के रूप में चुना गया।

आमंत्रित अतिथियों में से कुछ, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय और रोजगार सृजन तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, जल स्वच्छता और सफाई, पंचायती राज संस्थाओं-समुदाय आधारित संगठनों और लैंगिक गतिविधियों के क्षेत्रों में काम करने वाले सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है, जो कभी राजधानी दिल्ली नहीं आये हैं।

प्रधानमंत्री-जनमन मिशन प्रतिभागियों, आदिवासी कारीगरों, वन धन विकास योजना के सदस्यों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम उपक्रमों, आशा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को भी आमंत्रित किया गया है।

आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आपदा राहत कार्यकर्ताओं, पानी समिति, जल योद्धाओं, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, वन और वन्यजीव संरक्षण स्वयंसेवकों को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और प्रधानमंत्री कुसुम के तहत पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग में सहयोग करने वाले किसानों और परिवारों को भी पहली बार आमंत्रित किया गया है।

पैरा-ओलंपिक दल के सदस्य, शतरंज ओलंपियाड पदक विजेता, ब्रिज वर्ल्ड गेम्स रजत पदक विजेता और स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने-अपने खेलों में अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है।

नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, पेटेंट धारकों और स्टार्ट-अप को भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत स्कूली बच्चे, जो अखिल भारतीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता और वीर गाथा प्रतियोगिता के विजेता बनकर उभरे हैं, वे भी गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

आर.पी.एस.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाहिर होता है कि 2019 में ऐसे कई अभ्यर्थी थे, जिन्होंने अपने आखिरी सत्र की अंतिम परीक्षा नहीं दी थी, उनके द्वारा दायर याचिकाओं को अदालत खारिज कर सकती है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी जिरह की गई थी कि आरपीएससी स्वयं ही उन अभ्यर्थियों को हटा देगी, जिन्होंने आखिरी सत्र की अंतिम परीक्षा में भाग नहीं लिया है। अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद, आर.पी.एस.सी. को आदेश दिये कि वह नयी मैरिट लिस्ट जारी करे और उन अभ्यर्थियों को हटाये, जिन्होंने डिग्री के आखरी सत्र की अंतिम परीक्षा नहीं दी है और उन अभ्यर्थिओं को भी लिस्ट से हटाये, जिन्होंने फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 24 नवंबर 2019 तक फॉर्म जमा नहीं किया था। अदालत ने उन याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, जिन्हें आरपीएससी ने मैरिट लिस्ट में जगह नहीं दी थी, जबकि उन्होंने नियम अनुसार डिग्री प्राप्त कर रखी थी या कोर्स के अंतिम सत्र की आखिरी परीक्षा दे रखी थी।

'सायबर फ्रॉड के पीड़ित को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

94,204 रु. चुरा लिये। चुराया गया पैसा कई यू.पी.आई. ट्रान्ज़ैक्शनों के जरिये ट्रान्सफर हुआ। जांच में सामने आया है कि यह घोटाला लूइस फिलिप वेबसाइट पर 2021 डेटा-ब्रीच से शुरु हुआ था। लूइस फिलिप की वेबसाइट से ग्राहक की संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिसमें पीड़ित के कॉन्टैक्ट डिटेल शामिल थे। इस डेटा की मदद से, फ्रॉड करने वाले ने घोटाले के रुपरेखा बनाई तथा उसे अंजाम दिया, और पीड़ित के पास केवल अवांछित ब्लैजर और खाली हो चुका बैंक खाता रह गया।

फ्रॉड के अन्तर्गत हुये ट्रांज़ैक्शन्स की जानकारी मिलने पर, पीड़ित ने तुरंत ही अपना खाता बंद करने के कदम उठाये तथा इस घटना की रिपोर्ट असम पुलिस, आर.बी.आई. बैंकिंग लोकपाल तथा गृहमंत्रालय को, उसके नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से कर दी।

उसकी इस त्वरित कार्यवाही के बावजूद, एस.बी.आई. ने अपनी जवाबदेही ने इनकार कर दिया और तर्क दिया कि वे ट्रान्ज़ैक्शन गूगल पे के जरिये हुये थे, जो थर्ड पार्टी ऐप है, तथा बैंक सीधे उसकी सिफारिश नहीं करता है। एस.बी.आई. के रुख को स्वीकार करने से इनकार करते हुये, पीड़ित ने कानूनी कार्यवाही की तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला दिया।

अदालत ने माना कि फ्रॉड की हैन्डलिंग में एस.बी.आई. ने लापरवाही बरती, क्योंकि इस फ्रॉड की सूचना बैंक को कुछ घंटों के अन्दर ही दे दी गई थी। इसलिये, उच्च न्यायालय ने एस.बी.आई को आदेश दिये कि वह पूरी धनराशि रिफन्ड करे।

एस.बी.आई. इस प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय ले गया तथा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मूल फैसले को कायम रखा तथा समयान्तर्गत हस्ताक्षेप न करने के लिये एस.बी.आई. की आलोचना की। अदालत ने जोर देते हुये कहा कि बैंक की जिम्मेदारी है कि यह इस प्रकार फ्रॉड को रोकने के लिये अपनी उन्नत तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करे। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने एस.बी.आई. को चोरी हुआ पैसा रिफन्ड करने के निर्देश दिये। इसके अलावा, अदालत से एस.बी.आई. को अनुमति प्रदान की कि वह फ्रॉडकर्ता से पैसा वसूले, जिसे असम पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

फैसले में बैंकों तथा ग्राहकों दोनों की ही सजगता की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को दोहराया कि जहां वित्तीय संस्थाओं, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिये सक्रियता एवं सजगता से काम करना चाहिये, वहीं, ग्राहकों को भी संवेदनशील जानकारी शेयर करने या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन्स का उपयोग करने में सावधानी से काम लेना चाहिये।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है तथा उसके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इसके बाद कांग्रेस का प्रचार तो मंद पड़ गया है पार्टी बैक फुट पर दिख रही है।

यह सवाल तक पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस गंभीरता से दिल्ली चुनाव लड़ रही है?

ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल को समर्थन करने का वादा किया है तथा वे दिल्ली में उनके लिए सभाएं भी करेंगे।

दिल्ली के त्रिकोणात्मक चुनाव में कांग्रेस सबसे कमज़ोर पार्टी है तथा इसके एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरने की लेश मात्र भी संभावना नहीं है।

'नीतीश सरकार ने गैर कानूनी गिरफ्तारी की प्रशांत किशोर की'

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया

- **जन सुराज पार्टी ने कहा कि प्रशांत किशोर पर घातक हथियार रखने की धाराएं लगाई हैं, क्या बिहार पुलिस कम्बल और मफलर को हथियार मानती है।**
- **इसी बीच खबर है कि प्रशांत किशोर की तबयित बिगड़ गई है, उन्हें पटना में मेदांता अस्पताल के आई.सी.यू. में भर्ती किया गया है।**
- **प्रशांत किशोर बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के समर्थन में 2 जनवरी से आमरण अनशन पर हैं।**

पटना, 09 जनवरी। जन सुराज ने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि बिना कस्टडी वॉरंट लिए पुलिस उन्हें बेऊर जेल ले गई, जहां जेल अधीक्षक ने बिना कागज उन्हें अंदर रखने से मना कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) अभ्यर्थियों के समर्थन में किशोर दो जनवरी से आमरण अनशन पर हैं। इस बीच उनकी तबियत बिगड़ी और उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है। आज उनके अनशन का आठवां दिन है।

जन सुराज अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में सभी प्रमुख नेताओं ने गुरूवार को प्रेसवार्ता की। इस प्रेसवार्ता में जन सुराज युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा, किशोर कुमार मुन्ना, अधिवक्ता अमित कुमार, पूर्व एमएलसी रामबली चन्द्रवंदशी उपस्थित रहे।

अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि यह आश्चर्यजनक है कि जब किशोर को न्यायालय परिसर से निकाला गया, और बेऊर जेल की ओर ले जाया गया तब अदालत के अंदर सुनवाई चल ही रही थी। बिना कस्टडी के कागज लिए इन्होंने किशोर को बेऊर जेल ले जाना चाहा। जेल अधीक्षक ने बिना कस्टडी कागज के उन्हें अंदर रखने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि जिन धाराओं पर केस दर्ज किया गया है, वह चौंकाने वाला है।

कुमार ने बताया बीएनएस धारा 190, 191 (2), (3) और 223 सभी के सभी जमानती धाराएं हैं, लेकिन ये हास्यास्पद है कि 191(3) यह धारा दंगा करने का दोषी, यह घातक हथियार रखने पर लगाया जाता। वहां पर किसी बच्चे के हाथ में एक छड़ी तक नहीं थी, कम्बल और मफलर को बिहार पुलिस हथियार मानती है तो बिहार पुलिस गजब है, ये सत्याग्रह था, यह किस तरह से उपद्रवी हो गया।और सबसे बड़ी बात प्राथमिकी गांधी मैदान थाना में हुआ था, और उन्हें गांधी मैदान थाने में क्यों नहीं ले जाया गया। बेऊर जेल ले गए, जब भीड़ नहीं संभाली गई तो माइक किशोर को ही थमा दिया गया।

मिश्रा ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठात हुये कहा कि किसी को नहीं पता था वे लोग किशोर को कहां ले कर जा रहे है, तब मैं पीछे गया और मैने देखा कि किसी पुलिस अफसर के वर्दी पर नाम प्लेट नहीं था, रैंक नहीं था किसी ने कैप तक नहीं लगाया था। बिहार पुलिस के नाम पर बहरूपिया हो क्या पता, किसी ने अपनी आइडेंटिटी तक नहीं बताई। ऐसा बरताव किसी आतंकी के साथ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी से आग्रह करता हूं, कम से कम बेसिक गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। डीके बासु गाइडलाइंस साफ कहती है अपना आइडेंटिटी बताना होता है। वहां पर कोई अपना रैंक नहीं बता रहा, जब मैने गाइडलाइंस याद दिलाया फिर उन्होंने बस अपना रैंक बताया। यह पूरी तरह से गैरकानूनी डिटेंशन किया गया था।

मुन्ना ने बताया सुबह चार बजे बड़े संख्या में पुलिस आती है और किशोर को जबरन उठाती है और एम्स लेकर जाती है। वहां जाकर एम्स प्रशासन और डाक्टर को किशोर को एडमिट करने के लिए दवाब दिया जाता है, लेकिन एम्स प्रशाशन बिना कागजात उन्हें भर्ती करने से मना कर देता है।

कार्ति चिदम्बरम पर सी.बी.आई. ने नया केस दर्ज किया

नयी दिल्ली, 09 जनवरी। सीबीआई ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है, साल 2018 में सीबीआई ने कार्ति एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड उनके सहयोगी एस भास्करमन और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। यह जांच विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से जुड़े एक मामले में हो रही थी।

- **कार्ति चिदम्बरम को सी.बी.आई. ने 2018 में मीडिया से जुड़े एक मामले में भी गिरफ्तार किया था।**

जांच में पाया गया कि डियाजियो स्कॉटलैंड और सिकोइया कैपिटल्स ने संदिग्ध तरीके से उक्त कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया था। यह वही कंपनी है जो मीडिया मामले और चीनी कर्मचारियों को भारतीय वीजा दिलाने के एक अन्य मामले में सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में थी।

सीबीआई का आरोप है कि डियाजियो स्कॉटलैंड ने यह प्रतिबंध हटवाने के लिए कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया।

मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या

- **पति-पत्नी की लाश गठरी में और तीनों बेटियों की लाश बैड के अंदर मिली है।**
- **हत्या की जानकारी तब मिली, जब मृतक का बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ उसके घर आया और उसने दरवाजा बाहर से बंद पाया।**

मेरठ, 09 जनवरी। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर के अंदर पति-पत्नी के शव चादर में लिपटे मिले। जबकि उनकी तीन बेटियों को मारकर उन्हें बोरी में भरा गया, फिर बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया। घर के गेट पर बाहर से ताला लगा था। रिश्तेदार और भाई सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं उठ रही थी। पड़ोसियों ने भी एक दिन से परिवार को देखा नहीं था।

यह पूरा मामला लिसाड़ी गेट इलाके के सोहेल गार्डन का है। मरने वालों में पति मोईन, पत्नी आसमा और 3 बेटियां- अफ़सा (8), अजीजा (4), अदीबा (1) शामिल हैं। मोइन मिस्त्री का काम करता था।

पुलिस और फोरेंसिक टीम घर की तलाशी ले रही हैं। मोईन किराए के मकान में रहता था। घर की दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था। मकान 70 वर्ग गज में बना हुआ है। दरवाजे को तोड़ने के बाद भाई अंदर पहुंचा। जमीन पर कपड़े और सामान बिखरे हुए थे। दरवाजे के सामने ही एक कमरा था, पास में छोटा सा किचन। कमरे में जमीन पर बेड के पास मोईन और उनकी पत्नी की लाश थी, जो चादर की गठरी में थी। उनके गले धारदार हथियार से रेत दिए गए थे। जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था।

कमरे में किसी तरह की दुर्गंध नहीं थी। ऐसे में अनुमान लगाया गया मर्डर हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है। बेड में सामान रखने के लिए बॉक्स बने हुए थे। एक तरफ से यह भी खुला हुआ था। बेड के अंदर बच्चियों की लाशें छिपाई गई थीं। ये लाशें बोरियों में थीं। अंदर खून भी फैला हुआ था।

दरअसल, पूरा मामला तब खुला, जब मोईन का भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे।

संभल की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया जा चुका है तथा 19 ऐसे कुएं चिन्हित किये गये हैं, जिन्हें सार्वजनिक पूजा/ उपयोग लायक बनाने का काम चल रहा है।"

आवेदन पत्र में आगे कहा गया है: "जिला प्रशासन पुराने मंदिरों तथा कुओं के तथाकथित पुररुद्धार के अभियान के अन्तर्गत, यह प्रचार कर रहा है कि इस कुएं के सार्वजनिक उपयोग की मंजूरी दी जा रही है। प्रशासन जोर देते हुए कह रहा है कि कुओं का धार्मिक महत्व है।" प्रार्थना पत्र में आगे कहा गया है कि पूरे संभल नगर में तथा मस्जिद के पास ऐसे पोस्टर लगा दिये गये हैं, जिनमें ऐतिहासिक कुओं की स्थिति बताई गई है तथा पोस्टरों में मस्जिद को मंदिर के रुप में दर्शाया गया है।

गुरुवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।

एचएमपीवी संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेट्री इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है।

एस.आई.भर्ती रद्द करने से हिचक रही है ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंशा जाहिर करे कि वह एस.आई. भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के पक्ष में है कि नहीं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में कैबिनेट की कमेटी भी अपना मत रख चुकी है कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। वहीं पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के महाअधिवक्ता और गृह विभाग के अफसर भी अपनी सलाह सरकार के समक्ष पेश कर चुके है कि परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए क्योंकि अभी तक की जांच यह आशंकित करती है कि एस.आई. भर्ती परीक्षा में काफी ज़ोर-शोर से पेपर लीक किया गया है और चीटिंग के माध्यम से अवांछित अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों व महाअधिवक्ता का यह भी मानना है कि कई चयनित अभ्यर्थी का आपराधिक पृष्ठ भूमि से आते हैं और उनकी नियुक्ति से पुलिस व्ययवस्था चरमरा सकती है।

राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई दस फरवरी को तय करते हुए राज्य सरकार को केस से जुडे बकाया दस्तावेज पेश करने को कहा है।

एएजी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी भर्ती को रद्द करने के संबंध में चार मानक तय कर चुका है। इसके तहत व्यापक नकल, जांच पूरी होने, चयनितों में अधिकांश नकलची होने और चयनितों में से नकलचियों को अलग नहीं कर पाने की सूरत में ही भर्ती रद्द हो सकती है। उन्होंने अदालत को पुन: बताया कि प्रकरण में फिलहाल जांच चल रही है।

राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि याचिका में सरकार पर मामले में निष्क्रिय रहने का आरोप नहीं है, पर एजी, एसआईटी और कमेटी की रिपोर्ट पर भर्ती रद्द करने की गुहार की गई है। याचिका में यह नहीं कहा गया कि राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार को समय सीमा में बांधकर भर्ती निरस्त करने की प्रार्थना अनुचित है। एएजी की ओर से यह भी कहा गया कि राज्य सरकार मामले की तह तक जाना चाहती है, लेकिन याचिका भर्ती को रद्द करवा कर जांच को पटरी से हटाने वाली है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों, महाअधिवक्ता और कैबिनेट कमेटी की सलाह के बाद भी इस निष्कर्ष पर नहीं आ पा रही है कि परीक्षा को रद्द किया जाये या नहीं। कई अधिकारियों का कहना था कि राज्य सरकार अब अदालत के आदेश अनुसार ही कार्यवाही करेगी। राज्य सरकार के समक्ष परीक्षा रद्द करने के खिलाफ मंथन करने योग्य एक महत्वपूर्ण बिन्दू यह भी है कि अगर 2021 की परीक्षा रद्द करी जाती है तो 2021 से लेकर 2025 तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती एक बार भी नहीं की गई हैं और रिक्तियां संख्या बढ़ कर हजारों में पहुंच जायेगी। अदालत ने कहा कि एएसजी आरडी रस्तोगी मामले में न्यायमित्र के तौर पर अदालत का सहयोग करें। इस पर एएसजी ने कहा कि वे केन्द्र सरकार के वकील हैं और प्रकरण में ईडी का पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में न्याय मित्र की भूमिका में नहीं रह सकते। इस पर अदालत ने कहा कि इस मामले में केन्द्र सरकार पक्षकार नहीं है। इसलिए वे न्यायमित्र के तौर पर सहयोग करें। यदि किसी पक्ष को इस बात की आपत्ति होगी तो उसे भी सुन लिया जाएगा।मामले में अदालत ने कहा कि मंत्रियों की कमेटी, एसआईटी और महाधिवक्ता भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं, फिर सरकार में कौन बचा। अदालत ने पूछा कि मामले में निर्णय लेने का अधिकार किसे है। इस पर एएजी ने कहा कि इन्होंने अपनी राय दी थी और इसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट में उच्च स्तर पर मामला देखा जा रहा है। सरकार सभी पहलुओं को परखने के बाद ही निर्णय लेगी।

प्रदेश को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को जमीन स्तर पर गति मिल रही है। वहीं सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदेश को हुए अतिरिक्त आवंटन का यह निर्णय वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

राजस्थान में घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना

- **उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यू.पी., राजस्थान व एम.पी. में शनिवार में बारिश का अंदाज़ा।**

नयी दिल्ली, 09 जनवरी। देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगले तीन से चार दिन तक घना से बहुत घना कोहरा छाये रहने का अनुमान जताया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कल तक और 12 जनवरी को राजस्थान में रात और सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने के आसार हैं।

आईएमडी ने कहा, 11 और 12 जनवरी को बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग-अलग इलाकों में रात और सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान है।

पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के साथ इसके संपर्क के कारण 10 से 12 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है, साथ ही 11 जनवरी को दक्षिण हरियाणा और राजस्थान में छिटपुट ओलावृष्टि के भी आसार व्यक्त किये हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908